

भूमि सुधार उप समाहती का न्यायालय पोडाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिम कंस सं०-90/2018-19

<p>आदेश की तिथि</p>	<p>आदेश की तिथि</p>
<p>आदेश पर की गई कार्यवाही के बाद रिजर्वी तारीख संध</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मरित करें। अगली तिथि 25.9.18 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 25.9.18 को उपस्थापित करें।</p>
<p>आदेश पर की गई कार्यवाही के बाद रिजर्वी तारीख संध</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक-1011 दिनांक-22.09.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 23.09.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवादक शशि भूषण प्रमाणिक, पिला स्व० गंगार प्रमाणिक, जाति-नाई (ओपिओवर्ग), ग्राम-कोलवाकड़ा, थाना गाम-कोलवाकड़ा, पौ०-थाना चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प्रा)प्रमाणिका "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-इयामसरायडीह, थाना नं० 30, खाला नं० 646, खाला नं० 150, रकबा-04 हि० 560 बर्तकड़ी कला श्रीमति पुनम महती पति-श्री मुकेश चन्द्र महती, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग), गाम-सेताहाका, थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। गाम-सेताहाका, थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों की सुचना निम्नतः किया गया एवं आम इशतहार किया गया। जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक शशि भूषण प्रमाणिक, पिला स्व० गंगार प्रमाणिक, जाति-नाई (ओपिओवर्ग), ग्राम-कोलवाकड़ा, थाना चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपन हक के ही जमीन को कला के पास बचना चाहते हैं। आम इशतहार एवं नोटिस गामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। गामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्री एवं कला थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम के निवासी है। बिक्री का जाति नाई (अ.पि.वर्ग) एवं कला का जाति कुर्मी (अ.पि.वर्ग), समुदाय के सदस्य है। बिक्री उक्त वर्णित भूमि बिक्री हेतु बचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात बिक्री का चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकबा 3.29.213 ए० अवशेष भूमि बचना है। अंचल अधिकारी, बिक्री द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन तथा आम इशतहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन तथा आम इशतहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप चक्रधरपुर/आवेदक/आवेदिका को अपन हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन कला श्रीमति पुनम महती पति-श्री मुकेश चन्द्र महती, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग), गाम-सेताहाका, थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रमाणिका "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराया।</p>
<p>आदेश पर की गई कार्यवाही के बाद रिजर्वी तारीख संध</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक-1011 दिनांक-22.09.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 23.09.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवादक शशि भूषण प्रमाणिक, पिला स्व० गंगार प्रमाणिक, जाति-नाई (ओपिओवर्ग), ग्राम-कोलवाकड़ा, थाना गाम-कोलवाकड़ा, थाना चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। गाम-सेताहाका, थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों की सुचना निम्नतः किया गया एवं आम इशतहार किया गया। जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक शशि भूषण प्रमाणिक, पिला स्व० गंगार प्रमाणिक, जाति-नाई (ओपिओवर्ग), ग्राम-कोलवाकड़ा, थाना चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपन हक के ही जमीन को कला के पास बचना चाहते हैं। आम इशतहार एवं नोटिस गामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। गामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्री एवं कला थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम के निवासी है। बिक्री का जाति नाई (अ.पि.वर्ग) एवं कला का जाति कुर्मी (अ.पि.वर्ग), समुदाय के सदस्य है। बिक्री उक्त वर्णित भूमि बिक्री हेतु बचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात बिक्री का चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकबा 3.29.213 ए० अवशेष भूमि बचना है। अंचल अधिकारी, बिक्री द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन तथा आम इशतहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप चक्रधरपुर/आवेदक/आवेदिका को अपन हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन कला श्रीमति पुनम महती पति-श्री मुकेश चन्द्र महती, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग), गाम-सेताहाका, थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रमाणिका "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराया।</p>